आदेश-पत्र

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25-01-2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 08-04-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
-04-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 02-05-2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	

..-05-2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12-05-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

..5-2023 अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती वाद सं- 204/2002-03 एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी
मनातू

..-2023 अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्य की व्यस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं की जा सकी। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 08-08-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू

..08-2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 191/I पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति रामकान्त सिंह, रमेश सिंह, दिलेश्वर सिंह S/o भोला सिंह के नाम से दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कालम में बंदोवस्ती वाद सं0 204/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में

अंचल अधिकारी

मनातू पलामू

विषय:- संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केस ना 69/2016-17 के सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध मे प्रतिवेदित करना है कि संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केस न० 69/2016-17 के संदर्भ मे जाँचो उपरान्त पाया की मौजा सिलदिलीया खुर्द के माँग पंजी II के प्र० स० 131/I पर माँग धारी रैयत रामदेयाल सिंह, रमेश सिंह, केलेश्वर सिंह पिता भोला सिंह के नाम पर कायम है। ऑफ लाईन माँग पंजी II का विवरण निम्न प्रकार है।

मौजा	खाता	प्लौट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
सिलदिलीया खुर्द	37	854	1.80 एक०	बन्दोवस्ती वाद स० 204/2002-03 के अनुसार दर्ज किया गया।

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष अंतिम रसिद संख्या 3530149 दिनांक 19.1.2006 के द्वारा वसुली वर्ष 2005-06 दर्ज है। माँगधारी रैयत से भूमि सम्बंधित दस्तावेज की माँग किया गया। जिसमे आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का उक्त भूमि से संम्बधित कोई दस्तावेज नही प्रस्तुत किया गया। अंचल कार्यालय से पुन: नोटिस निर्गत करते हुऐ एंव अंचल अमिन से भूमि सत्यापन कराते हुऐ अग्रतर कार्यवाई की जा सकती है।

अत: प्रतिवेदन सादर समर्पित।

महाशय
जमाबन्दी रैयत द्वारा सुचना निर्गत के पश्चात बन्दोवस्ती पर्चा, नक्सा एवं लगान रसिद की छाया प्रति दाखिल की गई है। पंजी II मे उक्त बन्दोवस्ती वाद के आलोक मे जमाबंदी दर्ज किया गया है। जिसके प्राधिकार कॉलम मे दर्ज है।

अत: उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध अथवा 4(H) के अन्तर्गत नही आता है।

K (signature) 4/7/23
R.S.I

विश्वास भाजन

K (signature) 12/04/23
R.S.I

सेवा में,

श्री मान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय:- संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं०-69/2016-17 से संबंधित स्थल जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत संबंधित प्रतिवेदन करना है, कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं०-69/16-17 के सम्बन्ध में स्थल जाँच हेतु ग्राम- सिलदिलीया खुर्द थाना- मनातु, थाना नं०- 478 गया। जाँचोउपरांत निम्नवत पाया।

खाता	प्लोट	रकबा	बन्दोबस्ती-चौहद्दी	मन्तव्य
37 -	854 -	1.80एo.	उ०- सुशीला देवी द०- महेश सिंह पू०- गै० मालिक प०- सिवाना बजलपुर	स्थल पर जाकर देखने से स्पष्ट पता चलता है, की बन्दोबस्ती की गई भूमि वन सिमा के अन्दर है। वर्तमान में स्थल पर सखु के पेड़ हरा भरा है। बन्दोबस्तधारी के दखल में नहीं है।

उपरोक्त बन्दोबस्ती केस नं०- 204/02-3 बनाम रामदयाल सिंह वगैरह है।

अतः! आवश्यक कारवाई हेतु स्थल जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वासभाजन
अंचल निरीक्षक
अंचल अमीन
मनातु
08/06/23

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.10.17 15:28:12 +05:30
Location: 192.168.246.140